

संपादकीय

लेफ्ट जेएनयू से जेएनयू तक

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) छात्र संघ चुनाव में वामपंथी छात्र संगठनों को सफलता मिलने के बाद जिस तरह से कुछ कथित बुद्धिजीवी कहे जाने वाले विद्वानों ने सोशल मीडिया में टिप्पणियां की हास्यारपद ही मानी जाएंगी। इन विद्वानों ने लेफ्ट पार्टियों के उम्मीदवारों की कामयाबी को आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजों से भी जोड़ा। यहां तक कह दिया कि आगामी लोकसभा चुनावों के अप्रत्याशित नतीजे आने वाले हैं। जेएनयू में अध्यक्ष समेत सभी चारों सीटों पर वामपंथी दलों के छात्र संगठनों और उनके समर्थित उम्मीदवारों को जीत मिली है। जिस जेएनयू में करीब 5 हजार विद्यार्थी पढ़ते हों उसके छात्र संघ के नतीजों को लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखना मूर्खता नहीं तो क्या है। हैरानी तो इस बात की है कि जेएनयू के नतीजों पर अपनी राय रखने वाले कुछ माह पहले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के नतीजों की पूरी तरह अनदेखी कर गए। यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष सहित तीन पदों पर कब्जा जमाया कब्जा था। एक पद पर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई को भी जीत मिल थी। जहां सारे जेएनयू में करीब पांच हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं, वहां दिल्ली विश्वविद्यालय के अकेले दयाल सिंह कॉलेज में 8 हजार से अधिक छात्र पढ़ते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि छात्रों की संख्या के स्तर पर जेएनयू कितना छोटा सा शिक्षण संस्थान है, दिल्ली विश्वविद्यालय की तुलना में। इकअमतजपेमउमदज दरअसल वामपंथी विचारधारा और लेफ्ट दल पूरी तरह से भारतवर्ष में अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर जहां सब दल तैयारी कर रहे हैं और अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रहे हैं, वहां लेफ्ट दलों की तरफ से कोई हलचल तक नजर नहीं आ रही है। 2014 के लोकसभा चुनावों में उसे मात्र 11 सीटें ही मिलीं। पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनावों में माकपा या भाकपा को एक भी सीट नहीं मिली। पिछले लोकसभा चुनावों के नतीजों ने साफ संदेश दे दिया था कि देश के मतदाताओं ने लेफ्ट दलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन नतीजों के बाद



11 माच को शुरू हुए रमजान के महीने की करुण एवं मानवीय पुकार है, साथ ही, इसराइल पर हमलों के दौरान बन्धक बनाए लोगों में से शेष 130 लोगों को रिहा किए जाने की मांग है। हमास एवं इस्राइल के विद्युतीय चल रहे युद्ध को विराम देकर, शांति का उजाला करने, अभय का दातावरण, शुभ की कामना और मंगल का फैलाव करने के लिये को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को

दृढ़ता से शांति प्रयास एवं युद्ध विराम को लागू करना ही चाहिए। मनुष्य के भयभीत मन को युद्ध की विभीषिका से मुक्ति देनी चाहिए। इन दोनों देशों को अभ्य बनकर विश्व को निर्भय बनाना चाहिए। निश्चय ही यह किसी एक देश या दूसरे देश की जीत नहीं बल्कि समस्ती मानव-जाति की जीत होगी।

से जारी इस भयंकर जंग के दौरान यह पहला मौका है, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने युद्धविरोध का प्रस्ताव पारित किया है। यह इसलिए संभव हुआ कि अमेरिका ने इसे वीटो करने से परहेज किया। निश्चित रूप से सुरक्षा परिषद ने यह प्रस्ताव विश्व जननमत से उपर्युक्त दबाव की अभिव्यक्ति है। बाकी शक्तिसम्पन्न राष्ट्रों को इस युद्ध-विराम देने के प्रस्ताव को बल देना चाहिए और इसे लागू करने प्रयास करने चाहिए। पिछले सप्ताह अक्टूबर को हमास की ओर किए गए आतंकी हमले के खिलाफ़ जब इस्लाइल ने कार्रवाई की बड़ी कही तो अमेरिका और भारत समेत तमाम देशों की सहानुभूति उत्साहित साथ थी। लेकिन इस्लाइल ने जिस तरह से गाजा में हवाई हमले शुरू किए और वहां से आम लोगों की हताहत होने की खबरें आने लगी। उसके बाद यह आवाज तेज हो गई कि इस्लाइल को अपने अभियान का स्वरूप बदलना चाहिए। 3 अक्टूबर तक गाजा में करीब 32 हजार लोगों के मारे जाने की खबरें हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। भारत हमेशा युद्ध-विरोधी रहा। युद्ध-विराम की उसकी कोशिश निरन्तर चलती रही है। किसी

देश में यह भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए कि भारत हाथ पर हाथ धर बैठा रहा है। भारत ने उचित हस्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को यह भी बता दिया है कि वह सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में है और उनमें बात-चीत की मेज पर लौटने का आग्रह कर रहा है। निस्संदेह, भारत को मानवता के पक्ष में शांति-युद्ध-विराम और राहत के प्रयासों में जुटे रहना चाहिए। भारत द्वारा ऐसे प्रयासों का ही परिणाम है जिसका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद युद्ध-विराम का ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। गाजा पट्टी में हिस्से टकराव पर विराम लगाने के लिए सुरक्षा परिषद की कई बैठकें हुई चुकी हैं, मगर फिलहाल यह समझ नहीं हो पाया है। नवम्बर 2023 एक सप्ताह के लिए लड़ाई रोक गई थी और गाजा से बंधकों और इस्लाइल से फलस्तीनी बंदियों वाले अदला-बदली हुई थी। मगर, इसके बाद लड़ाई फिर भड़क उठी और इसमें तेजी आई है। गाजा में मृतवारी संख्या और भूख व कुपोषण प्रभावित फलस्तीनियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इसके मद्देनजर लड़ाई को जल्द से जल्द रोक जाने और मानवीय पीड़ा पर मरहम लगाने की मांग भी प्रबल हो रही है।

है। दुनिया के किसी भी हिस्से में मानवता का इस तरह पीड़ित एवं मर्माहत होना शर्म की बात है। इस शर्म को लगातार ढोते रहना शक्तिसम्पन्न एवं निर्णायक राष्ट्रों के लिये शर्मनाक ही है। अब एक सार्थक पहल हुई है तो उसका स्वागत होना ही चाहिए। समूची दुनिया और उसके देश हमास एवं इस्माइल के बीच चल रहे युद्ध को विराम देने की अपेक्षा महसूस करते हुए लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात थी कि अलग—अलग देशों में हो रहे प्रदर्शनों में व्यक्त होती जनभावना एवं मानवता की पुकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के रूप में बाहर नहीं आ पा रही थी। खुद अमेरिका इससे पहले गाजा युद्ध विराम से जुड़े तीन प्रस्ताव को वीटो कर चुका था। सोमवार को मतदान से अलग रहते हुए भी उसने इस प्रस्ताव को पारित होने दिया, जो उसके अब तक के रुख में अहम बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी रुख में आए इस कथित बदलाव पर इस्माइल ने भले ही तीखी प्रतिक्रिया जताई। इस्माइली पीएम नेतन्याहू ने इसी सप्ताह बातचीत के लिए अमेरिका जाने वाले एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के

एक चुनाव से शासन पर बेहतर ध्यान केंद्रित हो सकेगा

आसफ़ वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तर समिति ने भारत को लोकसभा विधायक सभाओं के लिए साथ चुनाव की प्रणाली पर लैंगिक खाका प्रदान किया है, जो दो सदी पहले पूरी तरह से बाबू हो गया था। एक साथ व्यवस्थालाने में शामिल सर्वेधानिप्रशासनिक और अन्य मुद्दों की व्याजांच के बाद, समिति ने सिफारिश की है कि यह प्रक्रिया संभवतः 2020 में लोकसभा चुनाव के साथ शुरू करती है। कोविंद समिति सिफारिशें आश्चर्यजनक नहीं क्योंकि कई अन्य संस्थानों ने रेजेंसियों ने चुनावों को एक रक्काने के पक्ष में तर्क दिया है जिसमें भारत का चुनाव आयोग, आयोग, संविधान के कामकाज समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग संसद की एक स्थायी समिति शामिल हैं। नीति आयोग, हालौं

य सभा स्थाए एक साथ चुकराने की आवश्यकता पर सहमतीं, लेकिन योजना के क्रियान्वयन पर उनके विचारों में काफी मतभाव। हालाँकि, कोविन्द समिति सिफारिशों समस्या का 360-दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है और हल करने का सबसे व्यावहारिक तरीका क्या प्रतीत होता है, हालाँकि यह काफी जटिल है। समिति राजनीतिक दलों, नागरिकों और अन्य हितधारकों के साथ व्यावहारिक विचार-विमर्श किया। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में, छ हमें से केवल दो—भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी—ने एक साथ सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली विकास करने के विचार का समर्थन किया। राज्य की पार्टियों में से 33 में से 20 को यह विचार पसंद आया, जो सात पार्टियां इसके खिलाफ शेष 13 दलों ने तटस्थ रहना पर किया। दिलचस्प बात यह है कि भारत के चार पूर्व मुख्य न्यायाधीश

दापक मिश्रा, रजन गांगाइ, अरविंद बोबडे और उदय ललित— एक साथ चुनाव के थे, साथ ही उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों में से नौ जिन्होंने परामर्श में भाग लिया विभिन्न राजनीतिक दलों और हितधारकों की सिफारिशों पर देने के बाद, कोविंद समिति ने "भारत की आजादी के पहले दशकों के बाद चुनावों में एक चुनाव न होने का अर्थव्यवस्था राजनीति और समाज पर हानिमुक्त प्रभाव पड़ा है। प्रारंभ में, हासाल में दो चुनाव होते थे। अब साल कई चुनाव होते हैं। सरकार, व्यवसायों, श्रमिकों, अदानों राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाली दलों और बड़े पैमाने के नागरिक समाज पर भारी बोझ लग गया है। इसलिए समिति ने सिफारिश की कि सरकार को एक साथ चुनाव लड़ने के लिए एक विशेष रूप से टिकाऊ तंत्र विकसित किया जाए।

चाहए। इस समन्वयन का लिए, पैनल ने सिफारिश भारत के राष्ट्रपति, आम चाद लोकसभा की पहली है तारीख को जारी अधिसूचना एक नियुक्त तिथि तय कर दी है यह उस तिथि के बाद और तारीख के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पहले गठित सभी राज्य विधानों का कार्यकाल केवल लोकसभा आगामी चुनाव तक की तिथि लिए होगा। इसके बाद, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं आम चुनाव एक साथ होंगे। चरण में नगर पालिकाओं परिवारों के चुनाव इसी समन्वयित होंगे। इसके समिति ने कहा है कि यदि राज्यों को समय से पहले भंग कर दिया जाता है, तो नए सदन के लिए नए सिरे से चुनाव कर दिया जाए, लेकिन इसका विधान सभा के समाप्ति कार्यकाल तक ही सीमित

याद संसद सुझाव के अनुसार सावधान और चुनाव कानूनों में संशोधन करती है, तो 2029 में नई लोकसभा के गठन के तुरंत बाद राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ समन्वय की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, और राष्ट्रीय और राज्य चुनावों का संरेखण 2034 तक पूरा हो जाएगा। वास्तव में यह एक लंबी प्रक्रिया है, जिसे अंतिम रूप देने में पूरा एक दशक लग गया, लेकिन यह इसके लायक है। जैसा कि कोविंद समिति ने बताया है, हमने आजादी के बाद से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के 400 चुनाव देखे हैं। यह वास्तव में दिमाग खराब करने वाला है और शासन एवं राष्ट्रीय प्रगति में एक बड़ी बाधा है। लोकतंत्र में लापरवाह राजनीतिक पैंतरे बाजी और चुनाव—उन्माद नहीं होना चाहिए जो नीतिगत पंगुता, शासन घाटे का कारण बनता है और सामान्य जीवन और आवश्यक सेवाओं के कामकाज को बाधित करता है। समिति ने कांग्रेस आर भारताय कम्युनिस्ट पाटा (मार्क्सवादी) की राय को सही ढंग से खारिज कर दिया है दोनों ने दावा किया कि यदि चुनाव एक साथ कराए गए, तो यह मौलिक रूप से अलोकतांत्रिक होगा और संसदीय लोकतंत्र की जड़ पर हमला होगा। क्या किसी कांग्रेसी नेता के मुंह से ये तर्क निकालना झूठ है, जब संविधान का मसौदा तैयार करने वाले पार्टी के सभी दिग्गजों—जिनमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे—ने 1950 और 1960 के दशक में एक साथ चुनाव कराने को मंजूरी दी थी। संविधान लागू होने के बाद पहले दो दशकों में यह प्रणाली पार्टी के अनुकूल रही। दूसरे, चुनावी आंकड़ों से पता चलता है कि लोग इन दिनों लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में अलग—अलग तरीके से वोट करते हैं। हाल के वर्षों में दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल जैसे राज्यों से इसके दर्जनों उदाहरण हैं।

चुनाव में भाषा का संयम एवं वर्चनों की मर्यादा जरूरी

लिलि

लाकसभा चुनाव जस-जस नजदीक आते जा रहे हैं, कई नेताओं की जुबान किसलती जा रही है, वे राजनीति से इतर नेताओं की निजी जिंदगियों में तांक-झांक वाले, दर्शकीय भावनाओं को भड़काने वाले ऐसे बोल बोल रहे हैं, जो न सिर्फ आपत्तिजनक हैं, बल्कि राष्ट्र-तोड़क हैं। चुनावी रैलियों में जनता के सामने अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचा देखाने के मकसद से ये नेता मर्यादा, शालीनता और नैतिकता की रखाएं पार करते नजर आए हैं। गलत का विरोध खुलकर हो, राष्ट्र-निर्माण के लिये अपनी बात कही जाये, अपने चुनावी मुद्दों को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया

जाय, लेकिन गलत, उच्छृंखल एवं अनुशासनहीन बयानों की राजनीति से बचना चाहिए। बड़ा सवाल है कि एक ऊर्जावान एवं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में क्या वाकई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल औचित्यपूर्ण है? चुनाव की तारीख तय होने एवं चुनावी पारा बढ़ने के बाद नेताओं के बयानों में तीखापन एवं हल्कापन आ गया है। एक तरफ गर्मी चुभन का अहसास कर रही है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक हल्कों में भाषायी अभद्रता एवं उच्छृंखलता धाव पर नमक छिड़क रही है। नेताओं को यह बात समझनी चाहिए कि सही तरीके से बोले गए शब्दों में लोगों को जोड़ने की ताकत होती है, जबकि गलत भाषा एवं

बोल का इस्तेमाल राजनीति
प्रातःल को कमजोर करता है। ने
के बयान शालीनता एवं मर्यादा
सारी सीमाएं लांघ रही है। ।
गांधी की 'शक्ति' के खिलाफ ल
संबंधी टिप्पणी 'शक्ति से ज
आर्मिक मूल्यों का अपमान करने
कुछ धार्मिक समुदाय' के तुष्टी
के लिए धर्मों के बीच शत्रुता
करने के 'दुर्भावनापूर्ण इरादे'
दर्शाती है। प्रारंभ में लालू
यादव का प्रधानमंत्री नरेन्द्र
पर परिवार विषयक आरोप भ
के लिये रामबाण औषधि बन
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने द
रनौत को लेकर किए पोस्ट में र
की फोटो के साथ भद्वा
महिला-शक्ति का अपमान बन

इवीएम के बारे में राहुल गंगोत्री के लिए निर्वाचन से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है और जा रहा है कि तथ्यों के अनुसार उनके बिना इस तरह का और गलत सूचना 'राष्ट्रीय एवं लोकतांत्रिक मूल्यों' का नुकसानदायक है। इवीएम निर्वाचन आयोग के बारे में उनकी विवादास्पद भावनाएँ भी लगने लगी। हमारे राजनीति में संयमित भावना अनुशासित बोल-बयान महत्वपूर्ण अंग होती है।

भी की भाषायोग करने कहा त्यापन व्याचार खंडता लिए और प्रामक करने —जैसे गे बढ़ जड़ी गया की एवं एक कर्तंत्र में उसी नेता का बोल—बाला हाता है, जिसकी भाषा एवं वचनों पर पकड़ मजबूत होती है। आजादी के बाद देश में जिस प्रकार राजनीति में बदलाव आता गया, उसी प्रकार राजने ताओं की भाषा और आरोप-प्रत्यारोप की शैली भी बदलती गई।

आज कुछ राजनीतिक दलों के नेता अपने विपक्षी राजनेता को 'प्यू जैसे शब्दों से ताना मारते हैं, तो कोई विपक्षी नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिये चौकीदार चोर है या चायवाला जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या हमारे देश की राजनीति में मर्यादा नाम का कोई शब्द बचा है? ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग करने से पहले हमारे ये राजनेता जरा भी नहीं सोचते कि उसका उनकी पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय राजनीति में स्तरहीन, हल्की और सस्ती बातें कहने का चलन काफी समय से है। लेकिन पिछले दो दशकों में यह वीभत्स रूप धारण कर चुका है। उस समय जब राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा था तो काफी विवाद हुआ और बड़ी तादाद में लोगों ने लोहिया का विरोध किया। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे भी काफी कुछ बोल चुके हैं और उनका पीएम मोदी के लिए रावण वाला बयान काफी चर्चा में रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हल्की बात कहते हैं मणिशंकर अर्यर।

युक्तेनी शरणार्थियों का खुली बांहों से स्वागत किया

१५०

यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के परिणामस्वरूप यूरोप में दशकों में सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो गया है। यूक्रेन के साथ उनके व्यवहार के बिल्कुल विपरीत था। 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के आतंकवादी हमले के बाद पश्चिम एशिया में एक बार फिर संघर्ष छिड़ गया। यूक्रेन के लिए इस घटना का अर्थ और असर क्या है? यूक्रेन के लिए यह एक बड़ा चुनौतियों का संग्रह है।



मिलियन से अधिक यूक्रेनियन अपने जिसकी यूरोपीय संघ ने कड़ी निंदा की। इस घटना ने हिंसा के चक्र को फिर से शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप गाजा में मानवीय त्रासदी हुई। यक्रेन में संघर्ष के बाशक दाक्षण के दशा से, यूरोप को तरजीही उपचार और चयन—आधारित शरण के आरोपों को संबोधित करने की चुनौती देती है। यूरोप का फिर से शुरू कर दिया, जिसके शरणार्थियों का खुली बांहों से स्वागत किया। जो कछ साल पहले सीरियाई चिताओं, आधिक हता आर राजनीतिक वास्तविकताओं की एक जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाता है। प्रारंभ में अर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए गठित, यूरोपीय संघ ने धीरे-धीरे अपनी सीमाओं का भारत सुरक्षा और अवसरा का तलाश करने वाले शरणार्थियों के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। इससे आम यूरोपीय संघ नीतियों का विकास हुआ जिसका उद्देश्य प्रवासन, शरण और सीमा नियंत्रण का प्रबंधन करना था। साथ ही सरकार का यात्रा कर रहा हो आ साथ ही तीसरे देश के नागरिकों पर भी जांच की जाए। ब्लॉक छोड़ना, प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कट्टरपंथी व्यक्ति यूरोपीय संघ में भी अराजकता पैदा करें। रुद्धियों और कहानियों पर आधिक चाकस ह। इस प्रकार, वे अपने यूरोपीय भाइयों के प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं। अधिकांश पूर्वी यूरोपीय देश सोवियत संघ के नियंत्रण में रहे हैं और इस प्रकार, यूक्रेन की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रख सकते हैं।

चिंताओं और घरेलू राजनीति के साथ मानवीय विचारों को करना भी था। समय व यूरोपीय संघ ने सदस्य बीच बोझ साझा करने, शरण वालों के अधिकारों की अनियमित प्रवासन की रोक प्रवासन प्रबंधन पर गैर-ई के साथ सहयोग जैसे बहस, तनाव और नीति सुन हैं। समकालीन चुनौति विश्लेषण करने, नीति प्रभाव का आकलन करने और इस मुद्दे में शामिल विविध दृष्टि और हितों को संबोधित कर लिए यूरोपीय संघ की प्रवास आव्रजन नीतियों के ऐतिविकास को समझना आवश्यक है का बहाना तो यूरोपीय फिलिस्तीनी शरणार्थियों को क्यों नहीं किया? एक निश्चित

हितों से शरणार्थियों को प्राप्त करने के कथित सुरक्षा खतरे निर्णय लेने पर प्रभाव डाल सकते हैं। आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य सुरक्षा चुनौतियों के बारे में चिंताएँ यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की शरणार्थियों को स्वीकार करने की इच्छा को प्रभावित कर सकती हैं। यूरोपीय संसद की हालिया बैठक में, यूरोपीय संघ ने सभी यूरोपीय संघ और गैर-यूरोपीय संघ के नागरिकों की व्यवस्थित जांच की मांग की, जब वे यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाओं से संघर्षरत देशों की यात्रा कर रहे हों और साथ ही तीसरे देश के नागरिकों पर भी जांच की जाए। ब्लॉक छोड़ना, प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कट्टरपंथी व्यक्ति यूरोपीय संघ में भी अराजकता पैदा न करें। रुद्धियों और कहानियों पर आधारित अंतर्निहित भेदभावपूर्ण व्यवहार रूस और इजराइल के प्रति यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया में स्पष्ट है। यूरोपीय संघ के अलग-अलग रुख का एक कारण भू-राजनीतिक निकटता भी है। ब्लॉक ने रूस-यूक्रेन युद्ध के बारे में अधिक चिंता व्यक्त की है क्योंकि यह संघर्ष राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से कितना करीबी है। यूक्रेन के प्रति इसके समर्थन का प्रवासी प्रभाव है। चूंकि अधिकांश यूक्रेनी नागरिक यूरोप के अधिकांश लोगों के साथ दिखते हैं, इसलिए वे अधिक चौकस हैं। इस प्रकार, वे अपने यूरोपीय भाइयों के प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं। अधिकांश पूर्वी यूरोपीय देश सोवियत संघ के नियंत्रण में रहे हैं और इस प्रकार, यूक्रेन की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रख सकते हैं।

